बिहार विधान-सभा वादवृत्त

बुधवार, तिथि १४ जून, १९७२।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में बुधवार, तिथि १४ जून, १९७२ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष, श्री हरिनाथ मिश्र के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर

अन्तरिम सहायता।

७२। श्री ए० के० राय—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि बिहार एवं केंद्र सरकार राजेन्द्र मेमोरियल रिसर्च, इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स, पटना का पूरा व्यय वहन करती है; फिर भी इसकी व्यवस्था प्राइवेट मैनेजमेंट द्वारा की जाती है;

(२) क्या यह बात सही है कि इनके कर्मचारियों को अक्तूबर, १९७० से मार्च, १९७१ तक १८·२५ रु० के हिसाब से अंतरिम सहायता दी गयी है जो अब अप्रील, १९७१ से बन्द कर दिया गया है;

(३) क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से बिहार सरकार ने इसके प्रबन्धकों को कर्मचारियों के बकाया अन्तरिम सहायता चुका देने का आदेश दिया है लेकिन आदेश का पालन अबतक नहीं हो सका है;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त संस्थान को अपने हाथ में लेने का विचार रखती है; यदि नहीं, तो क्यों तथा कर्मचारियों के बकाया अन्तरिम सहायता एवं अन्य सुविधा को प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाना चाहती है ?

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इन कर्मचारियों को भी वेतन संरक्षण देने का विचार रखती हैं ; यदि हां, तो कब तक ; और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लहटन चौधरी—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है लेकिन हमलोगों का केस नवम्बर, १९७१ से नहीं बल्कि जनवरी १९७२ से लंबित है ।

(३) हमलोगों का केस विचाराधीन है और इसका निपटारा शीघ्र ही हो जायगा ।

अल्पसूचित प्रश्न सं० १६६ के सम्बन्ध में चर्चा

श्री लहटन चौधरी—इसके लिये समय चाहिये ।

श्री सुनील मुखर्जी—यह प्रश्न गंभीर है । सरकार को इसके लिये समय नहीं मांगना चाहिये । सरकार निर्णय ले चुकी है कि रिट्रेन्च्ड हैंड को ही नौकरी में प्राथमिकता दी जाय, फिर भी अधिकारी अपने लगुवे-भगुवे को नियुक्ति कर लिये हैं और रिट्रेन्च्ड हैंड की नियुक्ति नहीं की गयी है । इस पर सरकार को तुरत जवाब देना चाहिये ।

श्री लहटन चौधरी—मैं माननीय सदस्य की भावना के साथ हूँ । सभी जगह से रिपोर्ट आ गई हैं सिर्फ छपरा से नहीं आयी है । सिविलसर्जन से स्पष्टीकरण पूछा गया है ।

अध्यक्ष—अगले सप्ताह में इसकी सूचना आप देंगे, इस बीच में देखेंगे कि ऐसी घटना न हो ?

श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह—इस प्रश्न के सम्बन्ध में सरकार कहती है कि उत्तर तैयार नहीं है । इससे हमलोगों को कठिनाई हो जाती है इसलिए आपसे मैं चाहूँगा कि सरकार को आदेश दें कि उत्तर जल्द देने की व्यवस्था सरकार करे ।

अध्यक्ष—एक सप्ताह में जवाब देंगे और पूर्ण जवाब देंगे । इस बीच में कोई बहाली नहीं होगी ।

श्री लहटन चौधरी—मैंने तो कहा है कि इस बीच में न बहाली हुई है और न होगी । रेकर्ड कॉल फौर किया गया है और स्पेशल मैसेन्जर को भेजा गया है ।

श्री जयनारायण—मंत्री महोदय द्वारा जो अशंका व्यक्त की गई है, आरोप लगाया गया है उन जिलों में यह बात ठीक है या नहीं ? इस बीच कोई कार्रवाई करते रहें ?

अध्यक्ष—कहा तो गया है कि जवाब देंगे एक सप्ताह के बाद ।

सेवा सम्वर्ग में सम्पुष्टि

१६७. । श्री शिवनन्दन झा—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि डॉ० पांडे विश्वनाथ प्रसाद सिंहा, व्याख्याता, पैथोलॉजी, पी० एम० सी० एच० की सम्पुष्टि हेतु विहार लोक-सेवा आयोग से सलाह मांगी गई थी और लोक-सेवा आयोग ने अपने पत्र संख्या १०१३९/६९, दिनांक ३ दिसम्बर १९६९ के द्वारा सरकार के विचार से सहमति प्रकट की थी कि डॉ० सिन्हा को दिनांक ११ नवम्बर १९५८ से बिहार सेवा सम्वर्ग में सम्पुष्ट किया जाय ;

(२) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कब तक लोक-सेवा आयोग की सिफारिश को लागू करने का विचार रखती है ?

श्री लहटन चौधरी—(१) डॉ० पांडे विश्वनाथ प्रसाद सिंह को स्थायी असैनिक सहायक शल्य चिकित्सकों की कोटि में ११-११-५८ से वरीयता दी जाय विभाग के इस विचार में आयोग की सहमति उनके पत्र संख्या ३/३९ दिनांक ३ दिसम्बर, १९६९ से प्राप्त हुई ।

(२) आयोग की सहमति के पश्चात् सरकार के आदेश के पूर्व इस प्रस्ताव में विधि विभाग, नियुक्ति विभाग तथा महाधिवक्ता से भी परामर्श लिया गया । इनका परामर्श यह हुआ कि डा० पांडे विश्वनाथ प्रसाद सिंह को ११-११-५८ की वरीयता देनी अनुचित होगा । तदनुसार सरकार का यह निर्णय हुआ कि डॉ० पांडे विश्वनाथ प्रसाद सिंह को स्थायी असैनिक सहायक शल्य चिकित्सक को कोटि में ११-११-५८ को वरीयता नहीं दी जाय ।

अतः लोक-सेवा आयोग की अनुशंसा लागू किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिवनन्दन झा—क्यों नहीं दिया जाय अध्यक्ष महोदय ?

श्री लहटन चौधरी—हमने तो सम्पूर्ण उत्तर दिया कि ऐडवोकेट जेनरल ने कहा है कि नहीं दिया जा सकता है, अनियमित होगा ।